

एश्वत का कर्माल मुल्जिम करते धमाल छात्रा हत्याकांड : अपराधी को ही मुर्दई बनाया पुलिस ने

फरीदाबाद (म.मो.) एन आई टी के पांच नम्बर स्थित गैस्ट हाऊस में 24 जनवरी को 12 वीं जमात की एक छात्रा की हत्या में पुलिस ने छात्रा के परिजनों के बयान पर मुकदमा दर्ज करने की बजाय हत्यारे के सहयोगियों को ही मुर्दई बना कर उनके बयान पर मुकदमा दर्ज करके एक नया कर्माल कर दिखाया है। इसका पूरा लाभ दोषियों को मिलना तय है। पुलिस के सहयोग एवं संरक्षण में चलने वाले इस गैस्ट हाऊस की मालकिन द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गयी एफ आई आर में कहा गया है कि उक्त छात्रा एक व्यक्ति के साथ उसके गैस्ट हाऊस में बाद दोपहर करीब साढ़े तीन बजे आई थी। पहचानपत्र मांगे जाने पर व्यक्ति ने कहा कि वह अभी थोड़ी देर में ला कर दे देगा। इतना कह कर वह छात्रा को लेकर कमरे में चला गया। करीब 25-30 मिनट बाद वह हड़बड़ता हुआ वहां से भाग गया। गैस्ट हाऊस मालकिन ने जब उस कमरे में जाकर देखा तो लड़की खून में लथपथ मरी पड़ी थी। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौका मुआयना करने के बाद लाश को बी.के. अस्पताल पहुंचा दिया। उधर गाँधी कॉलोनी निवासी छात्रा

यदि गैस्ट हाऊस मालकिन की बात सही है कि लड़का 25-30 मिनट में ही वहां से भाग गया था और उसने तुरंत पुलिस को इतला कर दी थी तो पुलिस तुरंत साढ़े चार पांच बजे की बजाय 8 बजे क्यों पहुंची? और पहुंचने के बाद पुलिस को गैस्ट हाऊस मालकिन के बयान पर मुकदमा दर्ज करने व लाश को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की क्या जल्दी थी? उसने क्यों नहीं तुरंत लड़की के मां-बाप को मौके पर बुलाया?

जब 7 बजे तक घर नहीं पहुंची तो करीब 8 बजे उसके परिजन थाना एन आई टी पहुंचे। उन्होंने लड़की का हलिया व पोशाक आदि के साथ गुमशुदगी की इतला पुलिस को दे दी। पुलिस ने रात 12 बजे के बाद लड़की के घर वालों को सूचित किया कि एक लड़की की लाश मिली है जो बी.के. अस्पताल में पड़ी है जाकर पहचान कर लो। लाश को मां-बाप ने अपनी लड़की

के रूप में पहचान लिया। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि छात्रा का मोबाइल फोन भी उसी कमरे से पुलिस ने बरामद कर लिया था। इन सभी तथ्यों के मद्दे नज़र पुलिस की तमाम कार्यवाही केवल संदिग्ध नहीं बल्कि पूर्णतया अपराधियों को बचाने वाली प्रतीत होती है।

यदि गैस्ट हाऊस मालकिन की बात सही है कि लड़का 25-30 मिनट में ही वहां से भाग गया था और उसने तुरंत पुलिस को इतला कर दी थी तो पुलिस तुरंत साढ़े चार पांच बजे की बजाय 8 बजे क्यों पहुंची? और पहुंचने के बाद पुलिस को गैस्ट हाऊस मालकिन के बयान पर मुकदमा दर्ज करने व लाश को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की क्या जल्दी थी? उसने क्यों नहीं तुरंत लड़की के मां-बाप को मौके पर बुलाया? ये सभी प्रश्न स्वतः चीख-चीख कर कह रहे हैं कि पुलिस बेशक हत्यारों से न मिली हुई हो लेकिन इस गुनाह में शामिल गैस्ट हाऊस मालकिन से निसंदेह मिली हुई थी और मिली हुई है। और इस कदर मिली हुई है कि व्यापक जनक्रोध के बावजूद पुलिस उस पर हाथ डालने की जुर्रत नहीं कर पा रही।

शेष पेज 2 पर

ई एस आई का दवा घोटाला

फरीदाबाद (म.मो.) 31 दिसम्बर 2012 को हरियाणा ई एस आई स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉ. बंसल सेवा निवृत्त हो गये लेकिन निवृत्त होने से पहले 20 करोड़ की दवायें खरीदने के आदेश जारी कर गये। ई एस आई नियमों के अनुसार दवाओं की खरीद प्रत्येक तिमाही की जरूरत के अनुसार होनी चाहिये लेकिन बंसल ने पूर्व रहे निदेशक ने दो तिमाहियों की खरीद नहीं की इसलिये बंसल ने दो पिछली एक अपनी व एक आगामी तिमाही की खरीद के आदेश जारी करके राज्य भर के अस्पतालों में बने दवा भंडारों में इतनी दवायें भर दी है जिनको अगले 8 माह में भी खपाया नहीं जा सकेगा।

इनमें से कुछ दवायें तो ऐसी हैं जिन्हें आठ डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक के तापमान पर नहीं रखा जा सकता। इस श्रेणी में वे कीमती इन्जेक्शन भी होते हैं जो डायलेसिस कराने वाले मरीजों को दिये जाते हैं। मजे की बात तो यह है कि डायलेसिस तो होते हैं शहर के व्यवसायिक निजी अस्पतालों में और इन्जेक्शन को मरीज ले कर जाता है ई एस आई अस्पताल से। इस तरह के इन्जेक्शन आदि को फ्रिज में रखना आवश्यक होता है जो ई एस आई में नहीं। यानी 20 करोड़ की दवायें तो खरीद कर स्टोर में फेक दी लेकिन उन्हें ढंग से सुरक्षित रखने के लिये लाख दो लाख के फ्रिज खरीदने की जरूरत नहीं समझी गयी। ऐसे में ये दवाइयाँ एक्सपायर हो जायेगी, लेकिन इन्हें फेंकने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिये इन्हें एक्सपायर होने के बावजूद भी मरीजों को दिया जाना जारी रहेगा; कोई मरता है तो मरे, इनकी बला से।

डा. बंसल द्वारा दिसम्बर माह में की गयी इस भारी भरकम खरीददारी के पीछे एक मात्र उद्देश्य था, मोटा कमीशन। जानकार बताते हैं कि इस सारी खरीद पर औसतन 2 करोड़ का कमीशन सप्लायरों द्वारा दिया जा चुका है, शेष कमीशन पेमेंट के चेक मिलने पर सम्बन्धित अधिकारियों को दिया जाना तय होता है। ऐसा भी नहीं है कि यह सारा कमीशन अकेले बंसल ने ही डकार लिया हो। इस तरह की लूट के माल में स्टोर कीपर से ले कर ऊपर तक के अधिकारियों का तो हिस्सा होता ही है बल्कि उनकी इन पदों पर तैनाती कराने वाले भी हिस्सा वसूलते हैं।

विदित है कि पिछली तिमाहियों में खरीदारी न होने की वजह से तमाम अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में टीके लगाने के लिये सिरेंज तक उपलब्ध नहीं थी, इसके चलते मरीजों को सिरेंज बाज़ार से खरीद कर लानी पड़ती थी।

शेष पेज 2 पर

चौटालों की शिक्षक भर्ती: घोटालों का अंश मात्र

तीं चाहे शिक्षकों की हो या सिपाहियों की, पटवारियों की या तसीलदारों की, किसी भी महकमों के कलकों की हो या अफसरों की, अपने आप में किसी घोटाले से कभी कम नहीं होती। यह काम केवल चौटालों के राज में हुआ हो ऐसा भी नहीं है। बंसी लाल से लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय तक बदस्तूर जारी है। हां, समय और व्यक्ति के साथ-साथ इसका स्वरूप जरूर बदलता रहा है। कोई मुख्यमंत्री कोटे में मिलने वाली चीनी की तरह नौकरियों को अपने विधायकों समर्थकों व रिश्तेदारों में बांटता रहा हो तो कोई उन्हें सीधे नीलाम करता रहा हो, परन्तु सही ढंग से योग्यता के आधार पर किसी ने भी योग्य लोगों को नौकरियां प्रदान नहीं कीं। इसी का परिणाम है कि आज नालायक एवं भ्रष्ट कर्मचारियों-अधिकारियों पर आधारित सरकारी

चौटालों ने भी जो 3206 जेबीटी मास्टर भर्ती किये थे वे पूरी तरह से सिफ़ारिश व लेन-देन के आधार पर किये थे। बंसी लाल ने अपनी सत्ता के अन्तिम दिन इन अध्यापकों की भर्ती का कार्य राज्य के स्टाफ़ भर्ती आयोग को सौंपा था, जिसने तुरन्त उसी दिन अखबारों में विज्ञापन दे कर आवेदन भी मांग लिये थे। लेकिन अगले ही दिन तरखा पलट गया और चौटाला जी मुख्यमंत्री बन गये। उन्होंने पहला काम उस भर्ती विज्ञापन को वापस लेने का किया और भर्ती कार्य के लिये जिला स्तर पर शिक्षा अधिकारियों की कमेटियां बना कर उन्हें सौंप दिया। जाहिर है चौटाला ने यह सब इसलिये किया था कि वे सभी नौकरियां अपने चहेतों को बांट सकें।

मशीनरी बिल्कुल नाकारा हुई पड़ी है। चौटालों ने भी जो 3206 जेबीटी मास्टर भर्ती किये थे वे पूरी तरह से सिफ़ारिश व लेन-देन के आधार पर किये थे। बंसी लाल ने अपनी सत्ता के अन्तिम दिन इन अध्यापकों की भर्ती का कार्य राज्य के स्टाफ़ भर्ती आयोग को सौंपा था, जिसने तुरन्त उसी दिन अखबारों में

विज्ञापन दे कर आवेदन भी मांग लिये थे। लेकिन अगले ही दिन तरखा पलट गया और चौटाला जी मुख्यमंत्री बन गये। उन्होंने पहला काम उस भर्ती विज्ञापन को वापस लेने का किया और भर्ती कार्य के लिये जिला स्तर पर शिक्षा अधिकारियों की कमेटियां बना कर उन्हें सौंप दिया। जाहिर है चौटाला ने यह

सब इसलिये किया था कि वे सभी नौकरियां अपने चहेतों को बांट सकें। इसका यह मतलब भी नहीं है कि आयोग द्वारा की जाने वाली भर्ती केवल योग्यता के आधार पर ही होनी थी। धांधली तो उसमें भी बराबर होनी थी लेकिन चौटालों के पल्ले कुछ खास पड़ने वाला नहीं था। क्योंकि आयोग के सदस्य बंसी लाल द्वारा नियुक्त किये गये थे, और संवैधानिक तौर पर चौटाला उन पर दबाव डालने की स्थिति में नहीं थे। बतौर मुख्यमंत्री चौटाला केवल भर्ती का काम आयोग से वापस ले सकते थे जो उन्होंने ले लिया। जिला स्तर पर गठित शिक्षाधिकारियों की कमेटी ने उन्हीं को भर्ती किया जिन्हें चौटालों ने चाहा, इसके लिये योग्यता का कोई सरोकार नहीं था। यह सारा काम होते-होते करीब एक साल लग गया। इस बीच विधान सभा के नये चुनाव हो गये जिनसे चौटालों की पकड़ सत्ता पर कहीं अधिक मजबूत

हो गयी। इससे उनकी निरंकुशता एवं आकांक्षायें और बढ़ गयीं। इसके अलावा चुनाव में अपने समर्थकों को दिये आश्वासनों को पूरा करने के लिये उन लिस्टों को बदलना जरूरी था जो जिला स्तर की कमेटियों ने तैयार की थी। इस काम के लिये तमाम जिला कमेटियों को हरियाणा भवन दिल्ली व चंडीगढ़ बुलाया गया और उनसे उन नई लिस्टों पर दस्तखत कराये गये जो चौटालों ने अपने घर बैठ कर तैयार की थीं। इसके एवज में कमेटी सदस्यों को भी एक-एक दो-दो शिक्षक अपनी मर्जी से भर्ती करने को दिये गये।

उधर पहली लिस्ट, जो तत्कालीन शिक्षा निदेशक रजनी शेखरी सिब्बल के पास पहुंची हुई थी, को बदलने से उन्होंने साफ़ इन्कार कर दिया। बदलना तो दूर उसको हवा भी न लगे, इसके लिये उन्होंने उसे सील कर दिया।

शेष पेज 2 पर